संख्या- 19 /2018 /2123/46-2-18-302(1)/18

प्रेषक,

पवन कुमार गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि.,
लखनउ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 22 नवम्बर, 2018

विषय- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2018-19 हेतु नकद साख सीमा (कैश क्रेडिट लिमिट) की व्यवस्था के लिए शासकीय गारण्टी दिए जाने एवं उक्त शासकीय गारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क माफ किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युकक्त विषयक अपने पत्र सं.-1858/यू.पी.एफ./प्र.प्र.(लेखा)/यू.पी.सी.बी./2018-19 दिनांक 22.10.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 20.11.2018 में दिए गए अनुमोदन के क्रम में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की 23 चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2018-19 हेतु संलग्नक सूची में अंकित चीनी मिलों के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित धनराशि के अनुसार कुल रू.27,03,92,00,000/-(रूपए सत्ताइस अरब तीन करोड़ बानवे लाख मात्र) की नकद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारण्टी प्रदान की जाती है तथा उक्त शासकीय गारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क रू.6,76,00,000/- (रूपए छः करोड़ छिहत्तर लाख मात्र) को माफ किया जाता है।

3- अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त शासकीय गारण्टी के निष्पादन हेतु विलेख तैयार कराकर विधीक्षण हेतु तत्काल शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव।

संख्या-19 /2018/ 2123 (1)/46-2-18-तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक (अग्रणी बैंक) 2-महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ।

2- सचिव/महाप्रबन्धक,जिला सहकारी बैंक,मेरठ(अग्रणी बैंक),मुरादाबाद (अग्रणी बैंक),लखीमपुर खीरी (अग्रणी बैंक),रामपुर(अग्रणी बैंक), एवं मुजफफरनगर (अग्रणी बैंक)।

3- वित्त नियन्त्रक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक/जिला सहकारी बैंकों द्वारा स्वीकृत की जाने वाली नकद साख सीमा पर शासकीय गारण्टी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने के साथ-साथ शासकीय गारण्टी एवं काउन्टर गारण्टी के प्रारूप भी विधीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा कराते हुए उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

5- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-4

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर दिवेदी)
संयुक्त सचिव।